न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 138/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/182

निस्तारण किया

1. सोहनलाल
2. सत्यनारायण
3. सुरजाराम
4. चांदरतन
5. शांतिलाल
6. सम्पतलाल
7. राधा देवी (मृत्तक) जरिये पुत्र एवं पुत्रियां
   1. पुनमचंद
   2. अशोक कुमार
   3. सावित्री

पिसरान आदूराम जोशी निवासी नोखामंडी, बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव श्री हनुमानपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः श्री चतुर्भुज सारस्वत — अभिभाषक अपीलांट्स
मोहम्मद इंम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 16.01.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सरपंच ग्राम पंचायत बिलनियासर के आदेश दिनांक 20.08.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि गांव श्रीहनुगानपुरा पंचायत बिलनियासर नोखा जिला बीकानेर के खसरा नंबर 194, 254 व 255 में कुल 11.56 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में अपीलांट्स के पिता श्री आदूराम पुत्र सरदाराराम का 1/2 हिस्सा अविभाजित था। अपीलांट्स के पिता स्व. आदूराम की की मृत्यु

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 17.06.1978 को जाने पर अपीलांट ने दिनांक 16.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव में लिखकर दिनांक 20.08.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आपति पेश करने पर निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2019 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री चतुर्भुज सारस्वत ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट्स के पिता श्री आदूराम पुत्र श्री सरदाराराम ब्राह्मण के नाम की कृषि भूमि गांव श्रीहनुमानपुरा पंचायत बिलनियासर नोखा बीकानेर के खसरा नंबर 194, 254 व 255 में कुल 11.56 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में अपीलांट्स के पिता का 1/2 हिस्सा अविभाजित था। आदूराम की मृत्यु दिनांक 17.06.1978 को होने के पश्चात् अपीलांट्स द्वारा काफी बार प्रयास किया और यह सोचकर की नामांतरण दर्ज हो गया काश्त करते रहे, किन्तु नामान्तरकरण न होने पर दिनांक 16.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव में लिखकर दिनांक 20.08.2019 की मिटींग में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा आपति दर्ज करवाई गई थी कि उसके पिता उदाराम व बड़े भाई केशाराम द्वारा यह भूमि खरीद की गई, किन्तु इससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त विवादित भूमि पूर्व में विक्रय हो चुकी है। किसी भी दस्तावेज विक्रय पत्र के लिये धारा 54 टी.पी. एक्ट की पालना होनी आवश्यक है, इस प्रकार कोई दस्तावेज कमी स्टाम्प या अनरजिस्टर्ड हो तो वह दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई और ना ही कोई साक्ष्य लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भू—राजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करके यह आदेश पारित किया है जो प्रथत दृष्ट्या ही निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.2019 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट्स के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मिलान किया

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित हुआ है। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं किया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि तहसीलदार नोखा प्रकरण में दोनो पक्षों को पुनः सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मिलान किया